रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1983/चैत्र 22, 1905
No. 176] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1983/CHAITRA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1983

का. आ. 289 (अ)/18क/आई.डी.आर.ए./83 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 266 (अ)/18क/आई.डी.आर.ए./78, तारीख 13 अप्रैल, 1978, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इंचेक-टायर्स लिमिटेड कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण पांच वर्ष की अवधि के लिए, 12 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, किया गया था ।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश की अवधि को छः महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए, 12 अक्तूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बना रहना चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 12, अक्तूबर, 1983 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(20)/80-सी. यू. एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 12th April, 1983

S.O. 289/18A/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 266(E)/18A/IDRA/78, dated the 13th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Inchek Tyres Limited, Calcutta, has been taken over for a period of five years upto and inclusive of the 12th April, 1983 ;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of 12th October, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1983.

[File No. 2(20)/80-CUS.]

का. आ. 290/18 च. ख./आई. डी. आर. ए./83 :— केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 411 (अ)/18 च ख/आई. डी. आर. ए./78 तारीख 27 जून, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) का प्रवर्तन जिनका मैसर्स इन्वेक टायर्स लि. कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम की स्वामित्व कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि को 12 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, और विस्तारित किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 12 अक्तूबर, 1983 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि को 12 अक्तूबर, 1983 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[फ. सं. 2(20)/80-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 290/18FB/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 411(E)/18FB/IDRA/78, dated the 27th June, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Inchek Tyres Limited, Calcutta, or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 12th April, 1983 ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order be extended for a further period upto and inclusive of 12th October, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1983.

[F. No. 2(20)/80-CUS.]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983